प्रेषक,

निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0
"खनिज भवन", लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0:-1547/एम0-ए 15(MSTC)/2017 (टी0सी0) दिनांक: 02 जनवरी, 2020

विषयः- ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा उपखनिजों के खनन परिहार स्वीकृत किये जाने की प्रकिया में बिडर्स द्वारा एम0एस0टी0सी0 लि0 के पोर्टल पर पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रो को परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57 (सामान्य)/2017 टी0सी0-1 दिनांक-14.08.2017 के कम में शासनादेश संख्या-2168/86-2017-57 (सामान्य)/2017टी0सी0-1 दिनांक-09.10.2019 एवं ईमारती पत्थर यथा खण्डा गिट्टी, बोल्डर आदि के क्षेत्रो को परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या0-3236/86-2017-57 (सा0)/2017 दिनांक-12.12.2017 के कम में शासनादेश सं0-2169/86-2017-57(सा0)/2017 दिनांक-09.10.2019 द्वारा संशोधन निर्गत किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एम0एस0टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपकम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रकिया में बिडर्स द्वारा एम0एस0टी0सी0 लि0 के पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय बिडर्स द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रकिया के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर एम0एस0टी0सी0 को दिशा-निर्देश दिये गये है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

-: पंजीकरण से सम्बन्धित :-

1. **हैसियत प्रमाण पत्र (Solvency Certificate) -**
   - (i) प्रोपराईटरशिप फर्म के सम्बन्ध में प्रोपराईटर का साल्वेंसी, पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप फर्म(एल0एल0पी0) के सम्बन्ध में सभी पार्टनर का साल्वेंसी अनिवार्य होगा जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो। कम्पनी के सम्बन्ध में बैंक द्वारा जारी साल्वेंसी मान्य की जायेगी।
   - (ii) जिन प्रदेशों में साल्वेंसी सर्टिफिकेट आनलाईन उपलब्ध हो, की पुष्टि आनलाईन कराते हुए मान्य की जा सकेगी।
   - (iii) किसी प्रदेश के साल्वेंसी सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि का उल्लेख न होने पर इसकी अवधि सामान्यतः निर्गमन के दिनांक से दो वर्ष मानी जायेगी और जहां पर वैधता अवधि का उल्लेख हो, उसे मान्य किया जायेगा।
   - (iv) एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण के समय जहां आवश्यक हो एम0एस0टी0सी0 साल्वेंसी एवं अन्य अभिलेखो की वैधता के सम्बन्ध में आवेदक से शपथ पत्र मांग सकती है। बिडिंग प्रकिया में शपथ पत्र के आधार पर भाग लिया जा सकता है परन्तु लेटर आफ इन्टेंट निर्गत करने से पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन किया जाना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में लेटर आफ इन्टेंट के समय अभिलेखों यथा चरित्र प्रमाण पत्र, साल्वेंसी सर्टिफिकेट आदि की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

Scanned with CamScanner

(v) साल्वेंसी सर्टिफिकेट एक ही पंजीकरण हेतु मान्य की जायेगी।

(vi) नियम 26(छ) के अनुसार बोली हेतु अपेक्षित हैसियत प्रमाण पत्र/बैंक गारंटी अद्यतन बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

2. **चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) –**

(i) उत्तर प्रदेश राज्य से भिन्न अन्य प्रदेशों में जहां चरित्र प्रमाण पत्र आनलाईन उपलब्ध हो, वह मान्य होगा।

(ii) जिलाधिकारी के स्थान पर किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में आवेदक की वैधता के सम्बन्ध में आवेदक का शपथ पत्र लिया जायेगा।

(iii) किसी प्रदेश से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र में वैधता की अवधि का उल्लेख न होने पर उसकी अवधि सामान्यतः निर्गमन के दिनांक से तीन वर्ष मानी जायेगी और जहां पर वैधता का अवधि का उल्लेख हो, उसे मान्य किया जायेगा।

3. **काली सूची एवं वसूली प्रमाण पत्र (Black listing and Recovery Certificate) –**

(i) ऐसे आवेदक जिनका नाम निदेशालय की वेबसाईट पर पैन आधारित काली सूची/जारी वसूली प्रमाण पत्र की सूची में पाया जाता है, उनका बिड में भाग लेने हेतु एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण नही किया जायेगा।

(ii) पार्टनरशिप फर्म की दशा में यदि किसी पार्टनर का नाम/पैन नम्बर निदेशालय की वेबसाईट पर पैन आधारित काली सूची/जारी वसूली प्रमाण पत्र की सूची में पाया जाता है, तो उस फर्म को बिड में भाग लेने हेतु एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण नही किया जायेगा।

4. **खनन पट्टे की अधिकतम सीमा –**

(i) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–10 में किसी व्यक्ति को नदी तल में पाये जाने वाले उपखनिज बालू/मोरम आदि के खनन पट्टा हेतु अधिकतम 02 खनन पट्टे जिसमें 50 हे0 से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित न हो तथा ईमारती पत्थर (गिट्ट/बोल्डर आदि) हेतु अधिकतम 03 खनन पट्टे जिसमें 25 हे0 से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित न हो, स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस सम्बन्ध में नदी तल के उपखनिज हेतु जारी शासनादेश सं0–2168 एवं ईमारती पत्थर हेतु जारी शासनादेश सं0–2169, समेकित दिनांक–09.10.2019 के कम में ई–नीलामी खनन पट्टा हेतु आवेदक के एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण के समय उसके पक्ष में पूर्व से स्वीकृत खनन पट्टों का संज्ञान लेते हुए उक्त नियम–10 के अनुसार आवेदक का पंजीकरण किया जायेगा।

(ii) नदी तल में उपलब्ध उपखनिज बालू/मोरम आदि के क्षेत्रों के ई नीलामी की प्रकिया में भाग लेने के लिए बालू/मोरम के खनन पट्टे की संख्या अथवा क्षेत्रफल तथा ईमारती पत्थर (गिट्टी/बोल्डर) के क्षेत्रों के ई नीलामी की प्रकिया में भाग लेने के लिए ईमारती पत्थर के खनन पट्टे की संख्या अथवा क्षेत्रफल का संज्ञान लिया जायेगा।

(iii) खनन पट्टे की संख्या अथवा क्षेत्रफल हेतु एम0एस0टी0सी0 द्वारा पूर्व में जारी लेटर आफ इन्टेंट का भी संज्ञान लिया जायेगा, परन्तु यदि आवेदक द्वारा लेटर आफ इन्टेंट के निरस्तीकरण की दशा में सम्बन्धित जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा सत्यापित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो इसकी गणना नही की जायेगी।

–: विज्ञप्ति से सम्बन्धित :–

5. **प्री–बिड ई0एम0डी0 व आवेदन शुल्क :–**

(i) प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक–पृथक प्री–बिड ई0एम0डी0 व आवेदन शुल्क आवेदक द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्लोबल प्री–बिड ई0एम0डी0 पेमेन्ट का प्राविधान किया गया है। इस प्रकिया में आवेदक एक मुश्त अथवा आवश्यकतानुसार अपने ई–वैलेट को रिचार्ज कर सकता है जिससे प्री–बिड

Scanned with CamScanner

ई0एम0डी0 व आवेदन शुल्क क्षेत्रवार स्वतः कटौती हो जायेगी। इस सम्बन्ध में ई नीलामी हेतु क्षेत्रों की विज्ञप्ति में प्री–बिड ई0एम0डी0 जमा करने की अन्तिम तिथि के सम्मुख निम्नवत् प्रदर्शित किया जाना होगा :–

प्री–बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री–बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क, एम0एस0टी0सी0 की वेबसाईट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार बोलीदाता द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

6. द्वितीय चरण की ई–नीलामी की अवधि :–

(i) ई–निविदा खोलने की तिथि व समय के तत्काल 02 घण्टे बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक–पृथक ई–नीलामी की तिथि व समय विज्ञप्ति में निर्धारित की जायेगी।

(ii) ई–नीलामी की अवधि 02 घण्टे के लिए होगी।

–: सामान्य निर्देश :–

7. उपखनिज ईमारती पत्थर के क्षेत्रों के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती पट्टाधारक का प्रमाण पत्र :–

(i) उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–23(2)(ख) के अनुसार पूर्ववर्ती पट्टाधारक को उच्चतम बोली से अधिक का प्रस्ताव का एक अवसर दिये जाने हेतु पूर्ववर्ती खनन पट्टे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है। इस हेतु जनपदों से जारी प्रमाण पत्र में आवेदक/पट्टाधारक के नाम के साथ उसका PAN No. का भी उल्लेख किया जाय, जिससे कि पंजीकरण के समय प्रकियात्मक त्रुटि न हो।

अतः ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से खनिजों के परिहार स्वीकृत किये जाने वाले विज्ञप्तियों में उक्तानुसार दिशा–निर्देशों को यथावश्यक समावेशित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(डा0 रोशन जैकब)
निदेशक।

संख्याः / /एम0–ए 15(MSTC)/2017 (टी0सी0) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. शाखा प्रबन्धक, एम0एस0टी0सी0 लि0, द्वितीय तल, सेन्टर कोर्ट बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ।
3. सम्बन्धित समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डा0 रोशन जैकब)
निदेशक।

Scanned with CamScanner